



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 10.03.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 10.03.2025 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण 1.प्रीतम सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवडी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 2.राजू उर्फ राजा पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवडी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.प्रीतम सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवडी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.राजू उर्फ राजा पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवडी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 519 पीयूष थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 4.कां0 2453 विकास खोखर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 10.03.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 48/2025 धारा 74/296/115(2)/352/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.01.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त जुबैर पुत्र नसीम व 03 अन्य युवक समस्त निवासीगण मौहल्ला सरायरफी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की दो बहनों के साथ छेडखानी की गई तथा विरोध करने पर गाली गलौच करते हुए लोहे की रॉड से मारपीट की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 48/2025 धारा 74/296/115(2)/352/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त जुबैर पुत्र नसीम निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जुबैर पुत्र नसीम निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 10.03.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 42/2025 धारा 77 / 351(2) / 69 बीएनएस व 66ई आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.02.2025 को वादिया ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि अभियुक्त विनित पुत्र लोचन सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद हाल निवासी आदर्श कॉलोनी थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर ने शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत काम किया एवं वादिया की आपत्तिजनक विडियो बनाकर वायरल कर दी एवं जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 41/2025 धारा 77/351(2) बीएनएस व 66ई आईटी एक्ट बनाम विनित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में धारा 69 बीएनएस की वृद्धि की गई।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 10.03.2025 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विनित पुत्र लोचन सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद हाल निवासी आदर्श कॉलोनी थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विनित पुत्र लोचन सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद हाल निवासी आदर्श कॉलोनी थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक श्री किशन अवतार प्रभारी निरीक्षक थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री सुमित राठी थानाध्यक्ष अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 553 पुरुषोत्तम थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
5. कां0 884 विजय तोमर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
6. कां0 1747 हेमन्त कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
7. म0कां0 786 आरती थाना रेहड़ जनपद बिजनौर